राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेजेज/2010 जयपुर, दिनांक : 30 MAY 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए मुआवजा राशि दिये जाने के कम में।**

संदर्भ :–**विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 01.12.2010 एवं 24.02.2011**

महोदय,

संदर्भित पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नियत अवधि में नही किये जाने की स्थिति में श्रमिकों को मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के भुगतान के संबन्ध में निर्देश जारी किये गये है। श्रम विभाग द्वारा देरी से भुगतान संबन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय हेतु प्राधिकारी अधिकारी भी नियुक्त किये जा चुके है।

विभाग द्वारा श्रमिकों की मजदूरी के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मस्टररोल ट्रेकिंग प्रणाली लागू की गयी है। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मजदूरी भुगतान में विलम्ब किस स्तर पर हुआ है एवं इसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है। विभाग की जानकारी में आया है कि मस्टररोल ट्रेकिंग प्रणाली का समुचित उपयोग नही किया जा रहा है एवं इसमें संबन्धित कॉलमों में दिनांक की प्रविष्टि नही की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि भुगतान में विलम्ब किस अधिकारी/कर्मचारी के स्तर पर हो रहा है। श्रमिकों की मजदूरी में विलम्ब पर मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके स्तर पर सुनवाई हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर की जाती है परन्तु महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के उल्लघंन पर नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 जिसमें प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा, वह दोष सिद्वी पर जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दायी होगा, के अनुसार कार्यवाही जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी जो कि अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है, द्वारा की जा सकती है।

अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम के सैक्शन 3(3) के प्रावधानों के अनुरूप योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अधिकतम 15 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित किया जावे अन्यथा प्रावधानों के उल्लघंनकर्ता पर नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

भवदीय

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस